A2
8

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारीः— श्री वीरेन्द्र कुमार वर्मा आर.ए.एस.
अपील संख्या 5/13 तारीख दायरा 20.05.2013

1. मखनसिंह पुत्र बन्ता सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 1 के जे डी
2. कन्धो उर्फ सुखदेव कौर पत्नी विन्द्र सिंह पुत्री बन्ता सिंह निवासी अरायण
3. सर्वजीत कौर उर्फ भोली पत्नी नक्षत्र सिंह पुत्री बन्ता सिंह साकिन काला टिब्बा
4. छोटो कौर बेवा बन्ता सिंह जाति मजहबी सिख निवासी 11 के जी डी

बनाम

1. स्टेट आफ राजस्थान
2. रसाला सिंह पुत्र बन्ता सिंह निवासी 12 एच मोहला
3. गुरमीत कौर पत्नी रसाला सिंह निवासी 12 एच मोहला
4. काका सिंह पुत्र बन्ता सिंह निवासी 12 एच मोहला
5. परमजीत कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह पुत्री बन्ता सिंह निवासी ढोल नगर
6. गुरविन्द्र कौर पत्नी कन्ता सिंह पुत्री बन्ता सिंह जाति मजहबी सिख नि0 कमीनपुरा

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम
विरूद्ध आदेश तहसीलदार श्री करणपुर दिनाक 23.04.2012

उपस्थितः—

1. श्री चरण दास कम्बोज एडवोकेट जरिये अपीलांटस
2. श्री गोविन्दपाल सिंह, श्री बलविन्द्र सिंह बराड़ एडवोकेटस जरिये रैस्पोडेंटस

18/12/17

निर्णय दिनांक

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलांट द्वारा अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्ध आदेश तहसीलदार श्री करणपुर इस आश्य की पेश की गई कि अपीलांटा के पति व अपीलांटास संख्या 1 से 3 के पिता व रैस्पो0 नं0 2 ता 6 के पिता स्व0 बन्तासिंह को अपने पिता बुध सिंह से चक 12 एच तहसील श्री करणपुर के खाता संख्या 53/47 मुरब्बा नम्बर 47 के 25.00 बीघा भूमि मिली। उक्त भूमि संयुक्त हिन्दु खानदान की अविभाजित सम्पति है। बन्ता सिंह ने अपने जीवन काल में इस जमीन की वसीयत दिनाक 10.05.2010 को तस्दीक करवाई। बन्ता सिंह ने उक्त जमीन को मुंतकिल करने की कोशिश की को उसके खिलाफ काकासिंह व रसाला सिह ने अदालत उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर के समक्ष दावा पेश किया। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत 2.2.11 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। उक्त आदेश के बाद रैस्पो0 ने बन्तासिंह की कथित वसीयत दिनाक 20.04.11 तैयार करवाकर व बन्तासिंह के देहान्त के पश्चात प्रार्थना पत्र पेश कर दिनाक 23.04.12 को आदेश करवाकर इन्तकाल दिनांक 1.05.12 को दर्ज करवा लिया। जिसकी जानकारी रैस्पो0 द्वारा अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि में मदाखलत बेजा करने व रकबा को बेचने की कोशिश करने पर दिनाक 15.04.13 को हुई। दिनांक 24.04.2013 को नकल हासिल करके अपील पेश की जा रही है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अदालत मातहत द्वारा उन्हे सुना नहीं गया न ही प्रकिया अपनाई। वसीयत कूट रचित है। एक वसीयत के रहते दूसरी वसीयत स्थगन के प्रभावी रहते नहीं की जा सकती थी। इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व इन्तकाल नियमों की न तो पालना की गई न ही लेण्ड रिकार्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना की गई न ही कब्जा की जांच की गई। तहसीलदार को वसीयत के बारे में जांच करने का कोई अधिकार नहीं है वसयीत के आधार पर जब तक न्यायालय से प्रोबेट हासिल नहीं कर लिया जाता तब तक मान्यता नहीं दी जा सकती। अतः अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाया जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई व रैस्पोडेंटस तथा रिकार्ड तलब किया गया।

बहस उभय पक्षीय सुनी गई। अपीलांटस के सुयोग्य अधिवक्ता का अपनी बहस में कथन है कि अपीलांटा के पति व अपीलांटास संख्या 1 से 3 के पिता व रैस्पो0 नं0 2 ता 6 के पिता स्व0 बन्तासिंह को अपने पिता बुध सिंह से चक 12 एच तहसील श्री करणपुर के खाता संख्या 53/47 मुरब्बा नम्बर 47 के 25.00 बीघा भूमि मिली। उक्त भूमि संयुक्त हिन्दु खानदान की अविभाजित सम्पति है। बन्ता सिंह ने अपने जीवन काल में इस जमीन की वसीयत दिनाक 10.05.2010 को तस्दीक करवाई। बन्ता सिंह ने उक्त जमीन को मुंतकिल

Scanned by CamScanner

A-2
7

करने की कोशिश की को उसके खिलाफ काकासिंह व रसाला सिह ने अदालत उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर के समक्ष दावा पेश किया। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत 2.2.11 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। उक्त आदेश के बाद रैस्पो0 ने बन्तासिंह की कथित वसीयत दिनाक 20.04.11 तैयार करवाकर व बन्तासिंह के देहान्त के पश्चात प्रार्थना पत्र पेश कर दिनाक 23.04.12 को आदेश करवाकर इन्तकाल दिनांक 1.05.12 को दर्ज करवा लिया। जिसकी जानकारी रैस्पो0 द्वारा अपीलांट के कब्जा काश्त की भूमि में मदाखलत बेजा करने व रकबा को बेचने की कोशिश करने पर दिनाक 15.04.13 को हुई। दिनांक 24.04.2013 को नकल हासिल करके अपील पेश की जा रही है। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अदालत मातहत द्वारा उन्हे सुना नहीं गया न ही प्रकिया अपनाई। वसीयत कूट रचित है। एक वसीयत के रहते दूसरी वसीयत स्थगन के प्रभावी रहते नहीं की जा सकती थी। इन्तकाल तस्दीक करने से पूर्व इन्तकाल नियमों की न तो पालना की गई न ही लेण्ड रिकार्ड रूल्स के आदेशात्मक प्रावधानों की पालना की गई न ही कब्जा की जांच की गई। तहसीलदार को वसीयत के बारे में जांच करने का कोई अधिकार नहीं है वसयीत के आधार पर जब तक न्यायालय से प्रोबेट हासिल नहीं कर लिया जाता तब तक मान्यता नहीं दी जा सकती। अतः अपीलाधीन आदेश अपास्त फरमाया जावे।

इसके विरोध में लायक वकील रैस्पोडेंटस का कथन है कि वसीयत दिनांक 20.04.11 विधि सम्मत है। यदि इस वसीयत के फर्जी होने का सन्देह था तो अपीलांटस को इस संबंध में दाण्डिक कार्यवाही करनी चाहिये थी जो नहीं की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पूरी प्रकिया अपनाकर ही इन्तकाल किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि बन्तासिंह की लडकियों छोटो, कर्मजीत कौर, भोली द्वारा इस संबंध में अपनी सहमति भी दी थी। उनका दूसरा तर्क है कि अपील मियाद बाहर है। आदेश 23.04.2012 के विरूद्ध अपील 17.05.2013 को पेश की गई है। उक्त आधारों पर अपील खारिज योग्य है जो खारिज फरमाई जावे।

रिव्युटल मे वकील अपीलांटस का तर्क है कि डिले कन्डोन हेतु धारा 5 का प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं । अपीलाधीन आदेश का ज्ञान 15.04.2013 को हुआ था अतः ज्ञान के आधार पर अपील अन्दर मियाद मानी जावे। उनका यह भी तर्क है कि यदि कोई सहमति पत्र था तो अधीनस्थ न्यायालय को सभी को सुना जाना चाहिये था महज समाचार पत्र लोक सम्मत जिसका प्रसार पूरे जिले में नहीं है में प्रकाशन करवाकर इन्तकाल किये जाने के आदेश अपीलाधीन आदेश द्वारा दिये गये हैं जो विधि विरूद्ध हैं।

उभय पक्षों द्वारा समायत बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया गया। बन्ता सिंह द्वारा अपीलकृत रकबा की प्रथम वसीयत 10.05.2010 अपने समस्त वारिसान के नाम से की गई थी। दूसरी वसीयत दिनांक 20.04.2011 को अपने पुत्रों रैस्पो. रसाला सिंह,काकासिंह व पुत्रवधू गुरमीत कौर के हक में तहरीर की। उक्त वसीयत के आधार पर रसालासिंह, काकासिंह पि0 बन्ता सिंह व गुरमीत कौर पत्नी रसाला सिंह द्वारा तहसीलदार करणपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र बाबत नामान्तकरण पेश किया जिस पर दैनिक समाचार पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशन करवाने के आदेश जारी किये गये व दिनांक 23.04.2012 को कोई आपति प्राप्त नहीं होने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया जाकर उक्त के हक में इन्तकाल दर्ज करने के आदेश दिये गये व इन्तकाल संख्या 458 दिनांक 01.05.2012 को किया गया। इस संबंध में पटवारी हल्का की रिपोर्ट 03.04.2012 प्राप्त की गई है, रिपोर्ट पटवारी के आधार पर वसीयत शुदा भूमि के बारे में कोई स्थगन नहीं है लेकिन इस संबंध में वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के के आधार पर पाया जाता है कि इस संबंध में वाद संख्या 51/09 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्री करणपुर के समक्ष विचाराधीन था। धारा 212 राजस्थान काश्तकारी के प्रार्थना पत्र पर अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 02.02.2011 को ता–फैसला मुकदमा जारी की गई। न्यायालय का स्थगन आदेश प्रभावी था।

इस प्रकार स्थगन के प्रभावी होते हुए इन्तकाल तस्दीक किया जाना पाया जाता है जो विधि विरूद्ध है इसके अतिरिक्त इन्तकाल की प्रकिया नहीं अपनाई गई है अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में बन्ता सिंह के समस्त जायज वारिसान का प्रमाण पत्र जो 21.02.2012 को ग्राम पंचायत द्वारा जारी है उसके आधार पर समस्त वारिसान को नहीं सुना गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है व अधिनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 23.04.2012 व उसके आधार पर किया गया इन्तकाल संख्या 458 दिनांक 01.05.2012 अपास्त

Scanned by CamScanner

A2
10

किया जाता है व मामला तहसीलदार श्री करणपुर को रिमांड किया जाता है कि समस्त वारिसान को सुना जाकर गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जावे।

निर्णय की प्रति के साथ रिकार्ड लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(वीरेन्द्र कुमार वर्मा)
अतिरिक्त जिला कलक्टर(सतर्कता)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner